IndiaShelter Home Loans इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : भूखंड-15, 6ठा तल, सेक्टर-44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002
शाखा कार्यालय : कृष्णा टावर, द्वितीय तल, 18-ईसी रोड, यूरोपीयन कार्यालय के पास, सर्वे चौक, देहरादून-248001
डीपी-49, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद-121001, कार्यालय संख्या- 4,5,6,7, प्रथम तल, श्री राम पैलेस, भोज मार्केट, सेक्टर-27, विनायक अस्पताल के पास, अट्टा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा - 201301, उत्तर प्रदेश और 143, द्वितीय तल मेन रोड के सामने (आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर), सिविल लाइंस, बरेली- 243001

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना यहां इसमें इसके उपरांत अंकितानुसार खाता के समक्ष उल्लिखित तिथि पर निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं तथा संपत्ति के स्वामी/प्रतिभूतिप्रदाता को भी सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि संपत्ति के स्वामी तथा अन्य उक्त निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा अधोवर्णित ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति/यों का उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है। अतः अब ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन-देन न करें तथा संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निम्नानुसार अंकित एक राशि और इस राशि पर ब्याज, लागतों इत्यादि हेतु इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता / गारंटर (संपत्ति के स्वामी) का नाम तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित / बंधककृत संपत्ति का विवरण (संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश निम्न में समाविष्ट हैं)	माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि के अनुसार देयराशि	अधिग्रहण की तिथि
श्रीमान/श्रीमती रेशमा खातून **श्रीमान/श्रीमती अब्दुल गफ्फार** **पताः** मड्डा चौक विकास नगर देहरादून बजाज होटल के पास देहरादून- 248001 इसके अलावा संपत्ति संख्या 1/461, खसरा संख्या 3882, वार्ड संख्या 01, विकास नगर देहरादून - 248001 **ऋण खाता संख्याः LA24BLLONS000005007563/AP-10014796**	संपत्ति संख्या 1/461, खसरा संख्या 3882, वार्ड संख्या 01, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड, क्षेत्रफल 34.16 वर्ग मीटर। सीमा:- पूर्व: असलम की संपत्ति, पश्चिम: कल्लू की संपत्ति। उत्तर: 1.87 मीटर, दक्षिण: निशा की संपत्ति।	माग नोटिस दिनांक : 20.06.2023 रु. 3,58,010.49/- (रुपये तीन लाख अट्ठावन हजार दस और उनचास पैसे मात्र) 10 जून 2023 तक देय, साथ में 11 जून 2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	21/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण
श्रीमान श्रीमती ब्रजवती पत्नी वीरेंद्र श्रीमान श्रीमती अनूप सिंह पुत्र वीरेंद्र श्रीमान श्रीमती वीरेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह का पताः मकान नंबर 406 सौसल मोहल्ला नजदीक नंगला सैलोठी सैलोठी 154 आलीता पलवल हरियाणा 121102 इसके अलावा, खेवट खाता नंबर 44/45 म्यू नंबर 14 किला नंबर 11/1/1(1-7)14(8-0) म्यू नं 27 किला नं 6/1(2- 16) म्यू नं 42 किला नंबर 1/2(3-3) म्यू नंबर 45 किला नंबर 9/1(4-15) वाका सिवाना मौजा सैलोठी नंगला तहसील एवं जिला पलवल ऋण खाता संख्या : LA11VLLONS000005093193 & LA11VLLONS000005093231/AP-10222064 & AP-10222954)	खेवट खाता नंबर 44/45 म्यू नंबर 14 किला नंबर 11/1/1(1-7)14(8-0) म्यू नंबर 27 किला नंबर 6/1(2-16) म्यू नंबर 42 किला नंबर का पूरा टुकड़ा और पार्सल 1/2(3-3) म्यू नं 45 किला नं 9/1(4-15) क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज वाका सिवाना मौजा सैलोठी नंगला तहसील और जिला पलवल हरियाणा 121105 सीमा:- पूर्व-विक्रम की संपत्ति, पश्चिम-विक्रम की संपत्ति, उत्तर-सूरज की संपत्ति, दक्षिण-12 फीट रोड	माग नोटिस दिनांक : 15.10.2024 रु. 1073444/- (रुपये दस लाख तिहत्तर हजार चार सौ चौवालीस मात्र) 09 अक्टूबर 2024 तक देय, साथ में 10 अक्टूबर 2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	22/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण
श्रीमान श्रीमती आरती भाटी पत्नी बलदेव श्रीमान श्रीमती बलदेव पुत्र सेवाराम श्रीमान श्रीमती मोहन पुत्र सेवाराम पताः मकान नंबर 98 हिदायतपुर 138 पलवल हरियाणा 121105 इसके अलावा, खेवट नंबर 15 खाता नंबर 20 म्यू नंबर 5 किला नंबर 5/1/2 (2-8) 5/3 (2-17) आराजी वाका मौजा हिदायतपुर तहसील पलवल हरियाणा 121105 **ऋण खाता संख्या : HL11RNLONS000005075450 & LA11VLLONS000005096406/AP-10180365 & AP-10227011)**	खाता नंबर 15 खाता नंबर 20 म्यू नंबर 5 किला नंबर 5/1/2 (2-8) 5/3 (2-17) क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, आराजी वाका का पूरा टुकड़ा और पार्सल मौजा हिदायतपुर तहसील पलवल हरियाणा सीमा:- पूर्व-संपत्ति की नारायण, वेस्ट-रोड 30 फीट, नॉर्थ-प्रॉपर्टी ऑफ शकुंतला, दक्षिण-निहित की संपत्ति	माग नोटिस दिनांक : 15.10.2024 रु. 1746150/- (सत्रह लाख छियालीस हजार एक सौ पचास रुपये मात्र) 09-अक्टूबर-2024 तक देय, साथ में 10-अक्टूबर-2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	22/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण
श्रीमती धरम वती पत्नी जगबीर सिंह श्री सोनिंदर पुत्र जगबीर सिंह श्रीमान श्रीमती जगबीर सिंह पुत्र रति राम, पता : मकान नंबर-1229 छुछना मोहल्ला बरौली (149) बरौली पलवल हरियाणा-121102 इसके अलावा, खात/खाता नंबर 161/257 म्यू नंबर 64 किला नंबर 17(8-0) 18(7-13) 23(7-13) 24(8-0) म्यू नं 81 किला नंबर 3(4-2) 4/1(1-12) म्यू नंबर 82 किला नंबर 21/2(7-7) 22(8-0) म्यू नंबर 83 किला नंबर 3(7-13) 4(8-0) 7/1(5-12) म्यू नं 86 किला नं 2/1(0-10) आराजी जरी वाका मौजा गांव बरौली तहसील एवं जिला पलवल हरियाणा 121001 **ऋण खाता सं. : LA11VLLONS000005082358/AP-10195746)**	खेवट/खाता नंबर 161/257 म्यू नंबर 64 किला नंबर 17(8-0) 18(7-13) 23(7-13) 24(8- 0) म्यू नंबर 81 किला नंबर 3(4-) का पूरा टुकड़ा और पार्सल 2) 4/1(1-12) म्यू नं 82 किला नं 21/2(7-7) 22(8-0) म्यू नंबर 83 किला नंबर 3(7-13) 4(8-0) 7/1(5-12) म्यू नंबर 86 किला नंबर 2/1(0-10) क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, आराजी जरी वाका मौजा गाओ बरौली तहसील और जिला पलवल हरियाणा सीमा:- पूर्व-रोड 8 फीट, पश्चिम-सिकंदर की संपत्ति, उत्तर-बाली की संपत्ति, दक्षिण-बिजेंद्र की संपत्ति	मांग सूचना तिथि 15.10.2024, रु. 9,47,263/- (नौ लाख सैंतालीस हजार दो सौ तिरसठ रुपये मात्र) 09-अक्टूबर-2024 तक देय, साथ में 10-अक्टूबर-2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	22/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण
श्रीमती कविता पत्नी किशोर श्री किशोर पुत्र रमेश चंद उर्फ रामश वर श्री अशोक कुमार पुत्र रमेश चंद उर्फ रामेश पर, **पता :** मकान नंबर डी-70 मेडवा मोहल्ला, चौपाल के पास, जुलवारी बरौली (149) पलवल हरियाणा 121102 इसके अलावा, खेवट खाता नंबर 40/45 म्यू नंबर 45 किला नंबर 18(8-0)23/1(3-15) वाका मौजा जुलवारी तहसील पलवल जिला पलवल हरियाणा 121102 इसके अलावा, मकान नंबर 196 मेडवा मोहल्ला चौपाल के पास गांव जुलवारी (149) पजवज, इसके अलावा- ग्राम जुलवारी, जुलवारी (141) पलवल हरियाणा- 121102 **ऋण खाता संख्याः LA11VLLONS000005079098/AP-10188648**	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि शामिल है जिसका माप क्षेत्रफल 4 मरला या 116 वर्ग गज है, जो खेवट खाता संख्या 40/45, मु नंबर 45, किला नंबर 18(8-0), 23/1(3-15), रकबा 11 करनाल 15 मरला से बना है। वाका मौजा जुलवारी तहसील पलवल जिला पलवल सीमा:- पूर्व-रोड 8 फीट, पश्चिम- लाला की संपत्ति, उत्तर-अन्य संपत्ति, दक्षिण-रोड 15 फीट	मांग सूचना तिथि: 15.10.2024 रु. 872421/- (आठ लाख बहत्तर हजार चार सौ इक्कीस रुपए मात्र) 09-अक्टूबर-2024 तक देय, साथ में 10-अक्टूबर-2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	22/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण
श्रीमान श्रीमती नीतू पत्नी विनोद **श्रीमान श्रीमती विनोद पुत्र सेवी** **पताः** चेयरमैन सुशीला रावत के पास शमशाबाद पलवल हरियाणा 121102 इसके अलावा म्यू नंबर 165 किला नंबर 4/2/2(4-0) 6/2/1(3-10) 7/1/2 (2-13) मौजा पलवल (शमशाबाद) तह पलवल जिला पलवल हरियाणा 121102 **ऋण खाता संख्याः HL11HLLONS000005043895/AP-10093498**	म्यू नंबर 165 किला नंबर 4/2/2(4 का पूरा हिस्सा - 0) 6/2/1(3-10) 7/1/2(2-13) कुल रकबा 10 कनाल 3 मरले का 13/812 भाग, बकदर रकबा3/1/4 मरला क्षेत्रफल 100 वर्ग गज मौजा पलवल (शमशाबाद) तह पलवल जिला पलवल हरियाणा 121102, सीमा:- पूर्व- खजानी का घर, पश्चिम- चंदर पाल का घर, उत्तर- खाली प्लॉट, दक्षिण- रास्ता	मांग सूचना तिथि : 15.10.2024 रु. 689582/- (छह लाख नवासी हजार पांच सौ बयासी रुपए मात्र) 09-अक्टूबर-2024 तक देय, साथ में 10-अक्टूबर-2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	22/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण
श्रीमान श्रीमती रूप वती पत्नी विजयपाल श्री/श्रीमती ओमपाल पुत्र विजयपाल पताः मुख्य अड्डा के पास नावना बरसाना मोहल्ला अमरौली 143 पलवल हरियाणा 121102 इसके अलावा, खात/खाता नंबर 739/799 म्यू नंबर 21 किला नंबर 7/2 (4-13) वाका मौजा कुशक तहसील जिला पलवल हरियाणा-121102 **ऋण खाता संख्याः : LA11CLLONS000005068159/AP-10156226**	फ्रीहोल्ड प्लॉट का पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्रफल 183 वर्ग गज। खेवट खाता संख्या 739/799 मु. संख्या 21 किला संख्या 7/2(4-13) भाग 1/2 रकबा 2 करनाल 8 मरला वाका मौजा कुशक तहसील और जिला पलवल, हरियाणा। सीमा:- पूर्व-रोड 4 फीट, पश्चिम-स्वयं की संपत्ति, उत्तर-स्वयं की संपत्ति, दक्षिण-सुखबीर की संपत्ति	मांग सूचना तिथि : 15.10.2024 रु. 1022733/- (रुपये दस लाख बाईस हजार सात सौ तैंतीस मात्र) 09-अक्टूबर-2024 तक देय, साथ में 10-अक्टूबर-2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	22/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण
श्रीमती अमर वती पत्नी भूरे सिंह, श्री भूरे सिंह पुत्र बदन सिंह श्री/श्रीमती विजेंद्र सिंह पुत्र बदन सिंह उपरोक्त सभी स्थानः खंगवा श्याम मजरा आजमपुर पोस्ट खंगवा श्याम बरेली उत्तर प्रदेश 243001 पर भी, मकान खसरा नंबर 383, 384 मिनट ग्राम करगेना बरेली उत्तर प्रदेश 243001 पर भी आशीर्वाद बारात घर जागृति पर नगर बदायून रोड बरेली उत्तर प्रदेश 243001 **ऋण खाता संख्याः HL11CHLONS000005067356/AP-10155414**	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें मकान शामिल है, जिसका खसरा/गाटा संख्या 383 और 384, माप क्षेत्र 41.60 वर्ग मीटर है, मौजा/ग्राम-करगेना बरेली, परगना, तहसील और जिला-बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश। सीमा:- पूर्व-15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- खेत वेदराम मौर्य, उत्तर- कालीचरण का प्लॉट, दक्षिण- विक्रेता का प्लॉट,	मांग सूचना दिनांक: 12.11.2024 रु. 770790/- (रुपये सात लाख सत्तर हजार सात सौ नब्बे मात्र) 09-नवंबर-2024 तक देय, साथ में 10-नवंबर-2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	23/जनवरी/25 सांकेतिक अधिग्रहण

स्थान : दिल्ली/रांची दिनांक : 24-01-2025 — कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सुधीर तोमर (+91 9818460101) से संपर्क करें।

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

टी.आर.सी. नं. 2627/2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक बनाम तोमल नाग

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

(सीडी 1) तोमल नाग पुत्र स्वर्गीय प्रफुल्ल नाग, निवासी ए-224, द्वितीय तल, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052
साथ हीः बी-1085, ऊपरी भूतल, प्लॉट संख्या 63-डी का हिस्सा, ब्लॉक-बी, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052
(सीडी 2) टुम्पा नाग पुत्र तोमल नाग, निवासी ए-224, द्वितीय तल, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052
साथ हीः बी-1085, ऊपरी भूतल, प्लॉट संख्या 63-डी का हिस्सा, ब्लॉक-बी, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052
(सीडी 3) मोहम्मद. शमशाद पुत्र सब्बीर अहमद, बी-68, न्यू गोबिंद पुरा, दिल्ली-110092,
साथ हीः बी-39, गली नं. 5, न्यू गोविंद पुरा, दिल्ली-110092

1. जैसा कि प्रमाणपत्र लेनदारों से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों तथा प्रभारों सहित ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 30.04.2014 से वसूली तक 12% वार्षिक भावी ब्याज तथा लागतों सहित रु. 13,83,085.00/- की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-कद्वारा 2014 का ओए नं. 293 में वसूली प्रमाणपत्र नं. 2627/2022 आहरित किया गया है।
2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि लागतों तथा प्रभारों सहित ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 30.04.2014 से वसूली तक 12% वार्षिक भावी ब्याज तथा लागतों सहित रु. 13,83,085.00/- की राशि के तहत बकाया होगा। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 05.03.2025 को 12.00 बजे अप. से 1.00 अप. बजे के बीच, यदि जरूरी तो 1.00 अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** पर होगी।
4. ई-नीलामी की जाने वाली प्रस्तावित सम्पत्ति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी	ईएमडी
1	संपत्ति संख्या बी-1085, ऊपरी भूतल, 36.23 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, छत के अधिकार के बिना, प्लॉट संख्या 63-डी का हिस्सा, 43.33 वर्ग गज क्षेत्रफल, ब्लॉक-बी, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052	रु. 21.00 लाख	रु. 2.10 लाख

5. ईएमडी पहचान प्रमाण (वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित प्रति सहित जिस पर भावी सम्पर्क का पता तथा स्व-प्रमाणित पैन की प्रति संलग्न हो, रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता आर.सी. सं. 2627/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना है जो रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के पास अधिकतम 03.03.2025 को 5.00 बजे अप. से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित कर ली जायेगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से अपनी ईएमडी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं।
6. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर आदि सहित **"टी.आर.सी. सं. 2627/2022"** लिखा होना चाहिए।
7. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता के पास एक वैध लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड और ई-मेल पता तथा पैन नम्बर होना चाहिए। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-II, बिल्डिंग नं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा-122015(भारत) दूरभाष नं. : 91 7291981124/25/26, 9948182222, ई-मेल : **ANDHRA@C1INDIA.COM SUPPORT@BANKEAUCTIONS.COM**, वेबसाइट : **https://WWW.BANKEAUCTIONS.COM**
8. सम्भावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना तथा अग्रिम में मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य है।
9. सम्बन्धित बैंक अधिकारियों/हेल्पलाइन नम्बर आदि का विवरण निम्न प्रकार है :

नाम तथा पद	ई-मेल तथा दूरभाष नं.
श्री पृथ्वीराज मीणा (एजीएम) श्री प्रोणोव कुमार घोष	मोबाइल : 8094333353, ई-मेल : d0707@psb.co.in मोबाइल नं. : 9015285882

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए सर्टिफिकेट देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है, वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री **'जहां है जैसी है' और 'जो है यही है'** शर्त पर की जाएगी।
11. संभावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण बिक्री की तिथि से पूर्व किया जा सकता है जिसके लिए उपर्युक्त बैंक के नामित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. अतार्किक पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताए किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी डीआरटी-I की रजिस्ट्री से पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली/या बैंक से संपर्क करें।
14. बिक्री उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावा जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा, यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि राशि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो भी बिक्री को रोक दिया जायेगा।
16. कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्तव्य का निर्वहन करता है, बोली लगाने, कोई हित अर्जित करने या बेचने का प्रयास नहीं करेगा।
17. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और आगे की शर्तों के अधीन होगीः संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
18. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह रुपये 5,000 (रुपये पांच हजार मात्र) के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को दुबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
19. सफल/उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा प्रस्तावित बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त लगे तथा ऐसा करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक हो तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
20. सफल/उच्चतम बोलीदाता ईएमडी समायोजित करने के बाद ई-नीलामी की समाप्ति तथा उच्चतम बोलीदाता घोषित होने के तुरन्त बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "टी.आर.सी. नं. 2627/2022" के पक्ष में धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 25% क्रय राशि राशि का डीडी/पे आर्डर जमा करना होगा जो रिकवरी अधिकारी कार्यालय में इस प्रकार भेजनी/जमा करनी होगी जो ई-नीलामी की समाप्ति के 3 दिनों के भीतर पहुंच जाए, अन्यथा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
21. सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I के समक्ष शेष 75% बिक्री राशि का "रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. 2627/2022" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर का भुगतान करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उपरोक्त रूप से रिकवरी अधिकारी पास पहुंच जाए)।
22. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं सरकार के पक्ष में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के लिये दावे करने से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जाएगी।

सम्पत्ति की अनुसूची

लॉट सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण सह-स्वामियों सहित जहां सम्पत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य से संबंधित है	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के कोई अन्य ज्ञात विवरण
1	संपत्ति संख्या बी-1085, ऊपरी भूतल, 36.23 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, छत के अधिकार के बिना, प्लॉट संख्या 63-डी का हिस्सा, 43.33 वर्ग गज क्षेत्रफल, ब्लॉक-बी, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052	कोई सूचना प्राप्त नहीं		

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 09.01.2025 को दी गयी। — (निरंजन शर्मा) वसूली अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.)

पीजॉन एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U67120DL2000PTC108182
पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 1208-डी, विजया बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
ईमेल आईडी : mkjain80@gmail.com

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
इनके मामले में
पीजॉन एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 1208-डी, विजया बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित है
.....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **पीजॉन एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड** (द आवेदक कंपनी) **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 16 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकाशति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 या (e-mail:rd.north@mca.gov.in), के पते पर जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते पीजॉन एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक : 20.01.2025 — मनोज जैन
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 00009740

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.)

इंटरसिटी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U65929DL1996PTC078953
पंजीकृत कार्यालय : 25, जी/एफ, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001
ईमेल आईडी : intercityfinvest@gmail.com

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
इनके मामले में
इंटरसिटी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 25, जी/एफ, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 में स्थित है
.....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **इंटरसिटी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड** (द आवेदक कंपनी) **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 17 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकाशति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 या (e-mail:rd.north@mca.gov.in), के पते पर जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते इंटरसिटी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक : 20.01.2025 — प्रवेश जैन
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 03035792

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.)

कोआ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
CIN : U65993DL1991PLC042592
पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 1208-डी, विजया बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
ईमेल आईडी : koainvestmentsltd@gmail.com

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
इनके मामले में
कोआ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 1208-डी, विजया बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित है
.....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **कोआ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड** (द आवेदक कंपनी) **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 16 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकाशति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 या (e-mail:rd.north@mca.gov.in), के पते पर जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते कोआ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक : 20.01.2025 — मनोज जैन
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 00009740

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री सुनीता जोशी ने स्वयं को JAYPEE INSTITUTES ESPORTS SOCIETY, 64/4, SITE-IV SAHIBABAD INDUSTRIAL AREA, DISTRICT GHAZIABAD, का अध्यक्ष बताते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क व आलेख प्रस्तुत किये हैं। आलेखों के अनुसार सर्वश्री मनु भास्कर गौड़ उपाध्यक्ष, विकास सक्सेना जनरल सेक्रेटरी, विजय प्रकाश सिंह कोषाध्यक्ष, ऋतु गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी, संजना जैन एवं तन्मय सकलानी सदस्य दर्शाये गये हैं।

यदि किसी व्यक्ति को प्रश्नगत समिति के पंजीकरण के विरुद्ध आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति प्रमाणों सहित प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पत्र पर विचार किया जाना सम्भव न होगा और गुण दोष के आधार पर समिति के पंजीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

आज्ञा से,
डिप्टी रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीस एवं चिट्स,
गाजियाबाद

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केंन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
माउंट रॉयल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U80301DL2010PTC201314)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस न. 1221-ए, देविका टॉवर, 12वा फ्लोर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, इंडिया, में स्थित है के मामले में
..**याचिकाकर्ता**

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत खंड II के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वह या तो **निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्तयोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

ऑफिस नं. 1221-ए, देविका टॉवर, 12वा फ्लोर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, इंडिया.

कृते माउंट रॉयल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
तिथि : 24.01.2025 — नितिन खन्ना
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 09032299

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केंन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
जेनिथ रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U70100DL2007PTC162821)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 1221-ए, देविका टॉवर, 12वा फ्लोर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, इंडिया, में स्थित है के मामले में
...**याचिकाकर्ता**

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत खंड II के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वह या तो **निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्तयोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

ऑफिस नं. 1221-ए, देविका टॉवर, 12वा फ्लोर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, इंडिया.

कृते जेनिथ रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
तिथि : 24.01.2025 — अमित राज
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 05212082

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.)

जेसीबी सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U67120DL2005PTC141031
पंजीकृत कार्यालय : 578, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर- II, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली-110034
ईमेल आईडी : mkjain80@gmail.com

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
इनके मामले में
जेसीबी सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 578, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर- II, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली-110034 में स्थित है
.....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **जेसीबी सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड** (द आवेदक कंपनी) **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 16 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकाशति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 या (e-mail:rd.north@mca.gov.in), के पते पर जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते जेसीबी सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक : 20.01.2025 — मनोज जैन
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 00009740

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.)

पैशन आईटी सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U45400DL2008PTC173178
पंजीकृत कार्यालय : 25, जी/एफ, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001
ईमेल आईडी : passionit08@yahoo.com

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले मे
और
इनके मामले में
पैशन आईटी सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 25, जी/एफ, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 में स्थित है
.....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **पैशन आईटी सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड** (द आवेदक कंपनी) **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 17 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकाशति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 या (e-mail:rd.north@mca.gov.in), के पते पर जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते पैशन आईटी सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक : 20.01.2025 — अंकित कुमार अग्रवाल
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 06993515

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में.)

श्रमिका बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U45201DL2005PTC139092
पंजीकृत कार्यालय : 25, जी/एफ, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001
ईमेल आईडी : shramika08@yahoo.com

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
इनके मामले में
श्रमिका बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 25, जी/एफ, बाजार लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 में स्थित है
.....आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **श्रमिका बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड** (द आवेदक कंपनी) **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 17 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II परिवर्तन की पुष्टि/स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकाशति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 या (e-mail:rd.north@mca.gov.in), के पते पर जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते श्रमिका बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
दिनांक : 20.01.2025 — राजीव गोयल
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 02312655

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266
शाखा कार्यालयः आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा बड़े पैमाने पर जनता को नोटिस दिया जाता है कि मृतक उधारकर्ता श्री नविंदर कुमार झा अन्य सह-उधारकर्ताओं के साथ मेसर्स तानी आर्ट के मालिक श्री शक्ति कुमार, मेसर्स भारत ट्रेडर्स ने अपने एक भागीदार श्री शक्ति कुमार, श्री शक्ति कुमार, सुश्री पूजा गोस्वामी, नविंदर कुमार झा (मृतक) के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, श्री अकिल कुमार झा ने ऋण खाता संख्या (ओं) के माध्यम से आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड ("एबीएफएल") से दिनांक 26.10.2021 और 20.12.2021 के ऋण समझौते के माध्यम से 97,50,000/- रुपये (सत्तानवे लाख पचास हजार रुपये मात्र) और 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की वित्तीय सहायता प्राप्त की थी: ABND_LAP000000519108 और ABND_LAP000000528444 - "प्लॉट नंबर बी -359, सेक्टर -92, नोएडा, उत्तर प्रदेश -201304" ("सुरक्षित संपत्ति")। चूक को देखते हुए ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया है तथा उक्त प्रतिभूत आस्ति के विरुद्ध सरफेसी कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं। उक्त उधारकर्ता अर्थात् श्री नविंदर कुमार झा का दुर्भाग्यपूर्ण निधन एबीएफएल के ज्ञान में आया है और एबीएफएल के कई प्रयासों के बावजूद, एबीएफएल उक्त मृतक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान का पता लगाने में सक्षम नहीं है। इसलिए वर्तमान सार्वजनिक सूचना के माध्यम से मृतक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों अर्थात श्री नविंदर कुमार झा से अनुरोध है कि वे अधोहस्ताक्षरी को इसके प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक और सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पहचान के बारे में लिखित रूप में सूचित करें, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि मृतक उधारकर्ता का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। जिसके बाद एबीएफएल कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू करने के लिए शामिल होगा जिसमें उक्त सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना और उसके बाद अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए उसी की बिक्री करना शामिल होगा।

दिनांक : 24 जनवरी 2025 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

DMI HOUSING FINANCE

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, फोनः +91 11 41204444 F: +91 11 41204000
dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

{नियम 8 (1) देखें} कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29 जुलाई, 2024 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी महेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह और शोभना जगदीश पत्नी महेंद्र सिंह (सह-ऋणी) को नोटिस में वर्णित राशि रू. **8,68,970/-** (रूपये आठ लाख अड़सठ हजार नौ सौ सत्तर मात्र) दिनांक 08 जुलाई, 2024 तक उक्त नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 जनवरी 2025 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के रू. **8,68,970/-** (रूपये आठ लाख अड़सठ हजार नौ सौ सत्तर मात्र) दिनांक 08 जुलाई, 2024 तक एवं अनुबंध की दर से आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यधीन होगा।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें एफएफ-12, पहली मंजिल पीछे की ओर मध्य यूनिट, प्लॉट नं. 5 एवं 6, खसरा नं. 1302, पी.एन. विहार, लोनी (चकबंदी बाहर) परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद, उत्तरप्रदेश 201102 में स्थित है। सीमाएं निम्न हैः- उत्तर मेंः 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण मेंः 15 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्व मेंः प्लॉट डिगर मलिक, पश्चिम मेंः फ्लैट एमआईजी

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांकः 23/01/2025 स्थानः गाज़ियाबाद, उत्तरप्रदेश — डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING
एक परिवार एक बैंक

बेंगलुरु अंचल कार्यालयः नंबर 465/ए, 22वां क्रॉस, तीसरा ब्लॉक, एनएमकेआरवी महिला कॉलेज के सामने, जयनगर बेंगलुरु - 560011
टेलीफोनः 080-29509922/33 ईमेलः **cmmarc_ban@mahabank.co.in**
मुख्य कार्यालय : लोक मंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (परिशिष्ट IV-A)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल सम्पत्ति, जिसका कब्जा **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदारों तथा जमानतियों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेष बकायों की वसूली के लिए **"जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर की जायेगी। कर्जदारों और गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और उस पर ज्ञात भार, कब्जे का प्रकार, आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि और वृद्धि राशि भी निम्न प्रकार दी गई हैः

क्र. सं.	कर्जदार/रों तथा जमानती/यों का नाम एवं पता	21.01.2025 तक बकाया राशि	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कब्जे का प्रकार	बैंक को ज्ञात भार	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि
1.	**मध्य कॉर्पोरेट शाखा (एम-8208820628)** **कर्जदारः** **मेसर्स। राकोन्तूर ग्रेनाइट लिमिटेड** #1587, सेक्टर-51बी, चंडीगढ़-160051 इसके अलावा नंबर 142-143, सेक्टर 34ए रोड, सेक्टर 34ए, चंडीगढ़-160 022 **जमानतीः** **श्री राजीव रामधन वशिष्ठ** हाउस नंबर 129, ट्रिब्यून मित्र विहार, रामगढ़ रोड, सेक्टर-29, पंचकुला, हैयाना-134116 **श्रीमती सहारा शर्मा** #2271, सेक्टर-44सी, चंडीगढ़-160047 श्री गौरव कुमार सी-503, मोना ग्रीन, डोमिनोज के सामने, वीआईपी रोड, जीरकपुर, एसएएस नगर मोहाली, पंजाब-140603	रु. 17,01,09,247.00 (रुपए सत्रह करोड़ एक लाख नौ हजार दो सौ सैंतालीस मात्र) **तथा 22.01.2025** से अतिरिक्त ब्याज, लागतें, जुमानें, प्रभार एनं व्यय या अन्य आकस्मिक प्रभार।	ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट **"सेंट्रल कोर्ट"** में टावर-एस्टर के 11वें तल (पेंट हाउस) पर 3526.00 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट नंबर ए-1101, प्लॉट नंबर 06 और 07 (प्लॉट नंबर 16 बनाते हुए) पर निर्मित भूमि का अविभाजित हिस्सा 89.83 वर्ग मीटर, कैंटोनमेंट कोर्ट कंपाउंड में स्थित, कमिश्नर ऑफिस के सामने, सिविल लाइंस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-244001	सांकेतिक	अज्ञात	**रु. 218.31 लाख** आरक्षित मूल्य का 10%
			ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट **"सेंट्रल कोर्ट"** में टावर-एस्टर के 11वें तल (पेंट हाउस) पर 3526.00 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट नंबर ए-1102, प्लॉट नंबर 06 और 07 (प्लॉट नंबर 16 बनाते हुए) पर निर्मित भूमि का अविभाजित हिस्सा 89.83 वर्ग मीटर, कैंटोनमेंट कोर्ट कंपाउंड में स्थित, कमिश्नर ऑफिस के सामने, सिविल लाइंस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-244001	सांकेतिक	अज्ञात	**रु. 218.31 लाख** आरक्षित मूल्य का 10%
			ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट **"सेंट्रल कोर्ट"** में टावर-एस्टर के 11वें तल (पेंट हाउस) पर 3230.00 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट नंबर ओ-1101, प्लॉट नंबर 06 और 07 (प्लॉट नंबर 16 बनाते हुए) पर निर्मित भूमि का अविभाजित हिस्सा 88.18 वर्ग मीटर, कैंटोनमेंट कोर्ट कंपाउंड में स्थित, कमिश्नर ऑफिस के सामने, सिविल लाइंस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-244001	सांकेतिक	अज्ञात	**रु. 214.29 लाख** आरक्षित मूल्य का 10%
			ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट **"सेंट्रल कोर्ट"** में टावर-एस्टर के 11वें तल (पेंट हाउस) पर 3393.00 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट नंबर ओ-1101, प्लॉट नंबर 06 और 07 (प्लॉट नंबर 16 बनाते हुए) पर निर्मित भूमि का अविभाजित हिस्सा 95.62 वर्ग मीटर, कैंटोनमेंट कोर्ट कंपाउंड में स्थित, कमिश्नर ऑफिस के सामने, सिविल लाइंस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-244001	सांकेतिक	अज्ञात	**रु. 232.37 लाख** आरक्षित मूल्य का 10%

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 27/02/2025 को 1.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक
संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समयः 20.02.2025 से 26.02.2025 पूर्व नियुक्ति के साथ
बोली/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 27.02.2025 को 1.00 बजे अप. तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर दिए गए लिंक **https://www.bankofmaharashtra.in/properties_for_sale** तथा **https://baanknet.com** देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उपर्युक्त कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर वर्णित राशि के साथ-साथ अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चों का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जाएगा।

तिथि : 23.01.2025 स्थान : बेंगलुरु — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बेंगलुरु अंचल

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

आस्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालयः 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400051, शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड- एससीओ 153,154,155, दूसरी मंजिल; सेक्टर 9सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160009

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) और 8(6) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। "मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे बाद में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद "पीएचएफएल" के रूप में संदर्भित) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (बाद में "बैंक/केएमबीएल/प्रतिभूत लेनदार" द्वारा संदर्भित) ने नीचे वर्णित अचल संपत्ति (बाद में प्रतिभूत परिसंपत्ति द्वारा संदर्भित) का भौतिक कब्जा 06.12.2024 को प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रुप से कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ने ई-नीलामी के माध्यम से सरफैसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत प्रतिभूत परिसंपत्ति को "जैसा है जहां है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर 17.01.2025 तक बकाया रु. 19,24,279/- (रुपये उन्नीस लाख चौबीस हजार दो सौ उन्यासी मात्र), ऋण खाता संख्या **HM/0139/H/18/100037** से भावी ब्याज सहित, की वसूली हेतु बिक्री का निर्णय लिया है; नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री गुरमीत सिंह और श्रीमती तरनजीत कौर द्वारा लिया गया ऋण।

विषय	विवरण
नीलामी की तिथि	28.02.2025
नीलामी का समय	12:00 बजे अप. से 1:00 बजे अप. के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित
आरक्षित मूल्य	रु. 7,00,000/- (रुपए सात लाख मात्र)
जमा धरोहर राशि(ईएमडी)	रु. 70,000/- (रुपए सत्तर हजार मात्र)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	27.02.2025 को 6:00 बजे अप. तक (भा.मा.स.)
प्रतिभूत आस्ति का विवरण	प्लॉट नंबर 31-ए माप 60 वर्ग गज के पश्चिमी भाग का समस्त भाग, खसरा नंबर 6//18 में शामिल, मौजा जगाधरी में स्थित, नाम उधमगढ़ की टपरियां, केसर नगर, जगाधरी तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर-135001 संपत्ति की सीमाएं: उत्तरः गली, दक्षिणः अन्य का प्लॉट, पूर्वः प्लॉट नंबर 31-ए का शेष, पश्चिमः प्लॉट नंबर 31-बी।
ज्ञात प्रभार	अज्ञात

कर्जदारो का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों को ध्यान कराया जाता है कि यदि किसी भी कारण से इस नीलामी में नीलामी विफल हो जाती है, तो प्रतिभूत ऋणदाता निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से प्रतिभूति हित लागू कर सकते हैं। बिक्री के तहत परिसंपत्तियों के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता श्री नीरज जे.के. (मोबाइल नंबर +919716686150), श्रीमती कंचन नारा (मोबाइल नंबर +919463227690) और श्री अक्षत सोलंकी (मोबाइल नंबर +917302111608) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के आईवीआर नंबर (+91-9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिक्री की विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट **www.kotak.com** पर दिए गए लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** या **http://bankauctions.in/** पर जाएं।

स्थानः यमुना नगर हरियाणा, — कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
दिनांकः 24.01.2025 — प्राधिकृत अधिकारी